



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 616]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 16, 2018/माघ 27, 1939

No. 616]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 16, 2018/MAGHA 27, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2018

आयकर

का.आ. 697(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80घ की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा निर्धारण वर्ष 2018-2019 एवं अनुगामी वर्षों के लिए उक्त खंड के प्रयोजन हेतु, परमाणु ऊर्जा विभाग की अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना को अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 9/2018, /फा.सं.178/29/2017-आईटीए-1]

रोहित गर्ग, निदेशक